Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

GCMS-2023/1563

अज अदालत	अतिरिक्त जिला कलक्टर	मुकाम	जोधपुर (ग्रामीण)

प्रार्थी

शेराराम पुत्र पोकरराम, जाति माली, निवासी ग्राम गंगाणी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर वगैरा।

बनाम

अप्रार्थी

लिखमाराम पुत्र जुगराज, जाति माली, निवासी ग्राम गंगाणी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर वगैरा।

किस्म मुकदमा: राजस्व विविध अवमानना प्रार्थना–पत्र नं. 50 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील मे जारी हुए
27.09.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.02.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)	
28.2.24	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 3-4-2024 को पेश हों।	
तामील उपस्थित 3.4.24	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 5.6.24 को पेश हों।	
5.6.24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र बाबत न्यायालय द्वारा [illegible] 16/12/2014 जो पंचायत निगरानी संख्या [illegible] शेराराम बनाम लिखमाराम [illegible] की पालना करवाने के लिए पेश किया है। प्रार्थीगण ने बतलाया कि आदेश दिनांक 16/12/2014 द्वारा पट्टा संख्या 114 दिनांक 11/9/1985 जो ग्राम गंगाणी द्वारा पारित किया गया, को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2023/1563

AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) मुकाम।

प्रेमाराम बनाम सरकार

मुकदमा राजस्व विविध अन्तर्गत नं. 50 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त किया गया था। उक्त आदेश की पालना ग्राम पंचायत ने आज दिनांक तक नहीं की है। प्रार्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश दिनांक 16/12/2014 की प्रति ग्राम पंचायत में पेश करें। ग्राम पंचायत आदेश दिनांक 16/12/2014 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रार्थीगण का राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र पुनः पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner